न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डा0 साधना शर्मा,आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या– 110/2023

प्रार्थना पत्र राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, राज0 भूराजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 66, 86 के अर्न्तगत स्थायी रूप से चालू रास्ता को राजस्व अभिलेख में अंकित करने बावत

उपस्थिति– पैरोकार सरकार –तहसीलदार धौलपुर की ओर से

निर्णय दिनांक–24.06.2024

तहसीलदार धौलपुर की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, राज0 भूराजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 66, 86 के अर्न्तगत स्थायी रूप से चालू रास्ता को राजस्व अभिलेख में अंकित करने बावत इस आश्य के साथ पेंश किया कि ग्राम खेडा तहसील धौलपुर की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 2825 रकबा 0.9610 है0 मेसे 0.1885 है0, में सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है एवं उपयोग में आ रहा है किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं हैं। उन्होने रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया। तहसीलदार की ओर से प्रार्थना पत्र में समर्थन में प्रतिलिपि जमावन्दी, नक्शा अक्स एवं नक्शा व्लूप्रिन्ट में रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को दर्शाते हुए पेंश किये गये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार धौलपुर से पत्रांक 1970 दिनांक 19.10.2023 के द्वारा विभिन्न बिन्दुओ पर रिपोर्ट ली गई उन्होने पत्रांक भू0अ0/2024/545 दिनांक 27.02.2024 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि राजस्व ग्राम खेडा में कचरा संग्रहण केन्द्र बावत खसरा नम्बर 2825 रकबा 0.9610 है0 में 0.0379 है0 आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि तक राजस्व रिकार्ड में पंहुच मार्ग चाहा गया है खसरा नम्बर 2825 तक रास्ता चालू है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकित नही है । रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पटवारी ने अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता राजस्व ग्राम खेडा को मजरा नटपुरा (खेड) से जोडता है । उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है तथा इसकी चौडाई लगभग 30 फुट है। रास्ता सिवायचक मे से है तथा लगभग 50 वर्षो से चालू है।

हमने तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न मौका रिपोर्ट, प्रतिलिपि जमाबन्दी तथा नक्शा अक्स का अवलोकन किया। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता के उपयोग में आ रही भूमि को सिवायचक भूमि किस्म बंजड होना बताया है जो प्रस्तुत रिकार्ड से स्पष्ट होती है तथा नक्शा अक्स में जो भूमि रास्ता के उपयोग में आ रही है एवं रास्ता चालू है, को नक्शा अक्स में प्रदर्शित किया गया है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के प्रावधानो के अनुसार सिचायक भूमि में चालू रास्ता की भूमि के रकबा को राजस्व रिकार्ड मे गे0मु0 रास्ता दर्ज कराया जाना उचित समझते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर राज0

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित ग्राम खेडा तहसील धौलपुर की आराजी खयरा नम्बर 2825 रकबा 0.9610 हैक्टेयर किस्म बंजड में से 0.1885 हैक्टेयर भूमि की सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ता में दर्ज भूमि का खसरा नम्बर पृथक कायम करने एवं राजस्व नक्शा में उक्तानुसार रास्ता की तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति पालना हेतु तहसीलदार धौलपुर को प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.06.2024को खुले न्यायालय में सुनाया गया।.

(डा0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर